



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940

No. 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018)

सं. एफ. 1-2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010" (विनियम सं. एफ 3-1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय-समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः—

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:

- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।
- 1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।
2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।
3. यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।